Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 SHISRRJ | Volume 5 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

''एसिड हमला : महिलाओं के साथ–साथ समाज को भी विद्रूपित करता है''

रमेश चन्द्र

शोध छात्र (विधि संकाय), नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज, उ0प्र0

डॉ0 स्वप्निल त्रिपाठी

सहायक आचार्य (विधि संकाय), नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज, उ0प्र0

Article Info
Volume 5, Issue 3
Page Number : 50-61

Publication Issue :
May-June-2022

Article History
Accepted : 05 June 2022
Published : 25 June 2022

सारांश: - भारतीय समाज में महिलाओं को सदैव से ही उच्च स्थान प्राप्त रहा है जहाँ एक ओर इनकी पूजा होती रही वहीं दूसरी ओर समाज के कुछ दुष्ट वर्ग द्वारा इनके प्रति अत्याचार एवं दुष्टता की जाती रही है महिलायें निरन्तर काल से हिंसा का शिकार होती है इनके प्रति अनेक प्रकार की हिंसा कारित की जाती रही है आज के युग में हिंसा कारित करने का एक अन्य अस्त्र अम्ल को भी बना लिया गया है। अम्ल प्रहार के माध्यम से महिला के केवल शरीर पर हमला नहीं किया जाता है बल्कि उसकी आत्मा को भी झकझोर कर रख दिया जाता है।

शब्द संक्षेप

महिला, एसिड अटैक, संवेदनशीलता, विधिक सहायता

परिचय :–

महिलाओं के प्रति हिंसा हमेशा से एक विवादित मुद्दा रहा है। यह लगातार बढ़ रहा है, महिलाएं बहुत ही कमजोर और भयानक स्थिति में होती हैं। यह ठीक ही कहा गया है कि पालने से लेकर अंतिम सांस तक, महिलायें चिरस्थायी और निरंतर हिंसा का शिकार होती है। यह न केवल विकासशील देशों में प्रमुख है, बल्कि विकसित देशों में महिलाएं भी हिंसा के खतरों में फंसी हुई हैं। हिंसा दूसरे व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक या दोनों प्रकार की क्षति पहुँचा सकती हैं।

इनसाइक्लोपीडिया ऑफ क्राइम एंड जस्टिस[1] के अनुसार, 'हिंसा एक सामान्य शब्द है जो सभी प्रकार के व्यवहारों को संदर्भित करता है। जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति की क्षति या विनाश या किसी व्यक्ति की चोट या मृत्यु होती है'।

चेम्बर्स डिक्शनरी[2] ने हिंसा का वर्णन इस प्रकार किया है– अत्यधिक अनर्गल या अनुचित बल प्रयोग। हिंसा का अर्थ आक्रोश, गाली–गलौज, चोट या बलात्कार भी है। अन्य लोगों को चोट पहुँचाना हिंसा का सार है। यह या तो शारीरिक या मानसिक हो सकता है। वैधानिक स्तर पर, यह व्यक्तिगत या सामूहिक उद्देश्यों के लिए

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

शारीरिक जबरदस्ती के तरीकों का अवैध उपयोग है। जब तक यह वैधानिक है, पुलिस द्वारा चोट पहुँचाना राज्य के बल का प्रयोग है। लेकिन जैसे ही यह वैधता की सीमा को पार करता है और वासना के लिए या व्यक्तिगत लाभ के लिए चोट पहुंचाता है, यह हिंसा बन जाता है।

ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी[3] के अनुसार, 'हिंसा का अर्थ अन्यायपूर्ण या अनुचित बल प्रयोग है जो आमतौर पर रोष, उग्रता, या अपमान शारीरिक बल के साथ गैरकानूनी रूप से नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रयोग किया जाता है'। हिंसा विभिन्न रूप ले सकती है। यह कन्या भ्रूण हत्या, वेश्यावृत्ति, वैवाहिक बलात्कार, पत्नी को पीटना, छेड़खानी, यौन उत्पीड़न, डायन शिकार, आदि के रूप में हो सकता है। उन पर की गई सभी हिंसाओं में तेजाब हमला सबसे शर्मनाक और जघन्य अपराध है और सबसे निंदनीय और विवादास्पद बात यह है कि इससे निपटने के लिए सरकारी अधिकारी घृणा करते हैं। हिंसा का यह रूप आज के समाज में बहुत सर्वव्यापी होता जा रहा है। एसिड अटैक कालातीत, नस्लविहीन, धर्म रहित और सीमा विहीन होता है।

1.4 एसिड अटैक के कारण

एसिड अटैक के प्रमुख कारण निम्न है :–

I. पुरुष प्रधान समाज

हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है जहाँ पुरुषों को हमेशा दबंग बताया गया है और महिलाओं को अधीन बताया गया है। महिलाओं को हमेशा से ही व्यक्तित्व से विहीन माना गया है। प्राचीन काल में नारी को पिता की संपत्ति माना जाता था, बाद में वह पति की संपत्ति बन गई जिसने उसे पिता से उपहार के रूप में प्राप्त किया, और जब वह विधवा हुई तो पुत्र ही उसकी रक्षा और नियंत्रण करता था। ऐसे समाज में जहां महिलाओं को हमेशा पुरुषों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, पुरुषों को 'नहीं' सुनने की आदत नहीं होती है। तेजाब फेंकने के लिए अब तक जो विभिन्न कारक सामने आए हैं, उनमें महिलाओं का दाम्पत्य संबंध बनाने से इंकार करना, महिला को रिश्ते में प्रवेश करने से मना करना, चल रहे रिश्ते से महिला का वापस लेना आदि शामिल हैं।

II. एसिड की सस्ती और सहज प्राप्ति

एसिड अटैक के मामलों के प्राथमिक कारणों में से एक बाजार में एसिड की आसानी से उपलब्धता है। लोग फार्मेसियों, ओपन–एयर बाजारों, सुनार की दुकानों, ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकानों आदि से अपनी ओर से बिना किसी प्रयास के इसे आसानी से खरीद सकते हैं।

III. सहकर्मी ईर्ष्या

ईर्ष्या एक और महत्वपूर्ण कारक है जिसके परिणामस्वरूप ऐसी भयानक घटनाएं हुई हैं। इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में, हर कोई दूसरे व्यक्ति से आगे निकलना चाहता है और आगे रहना चाहता है। यह व्यवसाय, सेवा

क्षेत्र या शिक्षा क्षेत्र में हो सकता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बहुत तेज गति से आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता।

IV. अस्वीकृत और प्रतिशोधी तथाकथित प्रेमियों द्वारा प्रतिशोध

यह पीड़िता पर तेजाब फेंकने के प्रमुख कारणों में से एक है। जब किसी व्यक्ति को उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है या किसी व्यक्ति के अग्रिमों को एक महिला द्वारा ठुकरा दिया जाता है, तो इसे एक द्वेष के रूप में लिया जाता है और प्रतिशोध से, महिला को सबक सिखाने के लिए उस पर तेजाब का उपयोग किया जाता है।

V. परिवार के सम्मान की रक्षा

परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए, लोगों ने इस तरह के बर्बर कृत्यों का सहारा लिया है और महिलाओं को परिवार के स्वीकृत मानदंडों और जातियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने से रोकने के लिए तेजाब का इस्तेमाल किया है।

VI. एसिड अटैक का प्रभाव

एसिड अटैक महिलाओं पर किया जाने वाला सबसे भयानक और असहनीय है। एसिड अटैक संभवतः मनुष्यों पर किए गए सबसे घिनौने कृत्यों में से एक है जिसके परिणामस्वरूप पूरी तरह से दुर्बलता, संभावनाओं और आय की हानि, और यहां तक कि सामाजिक आवश्यकता भी होती है।

इसका प्रभाव अस्थायी नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के जीवन भर स्थायी होता है। वह न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से बल्कि आर्थिक और भावनात्मक रूप से भी पीड़ित है, समाज से अलगाव की बात नहीं करती है। समाज इस रूप को स्वीकार करने में असमर्थ है और मानता है कि महिला के साथ कुछ धब्बा और दोष जुड़ा हुआ है।

VII. शारीरिक प्रभाव

शारीरिक प्रभाव भयानक, निराशाजनक और शब्दों के लिए बहुत भयानक है। शुरुआत में जब तेजाब फेंका जाता है तो ऐसा लगता है कि पानी फेंक दिया गया है और व्यक्ति यह पता लगाने में असमर्थ है कि वास्तव में क्या हुआ है, लेकिन कुछ ही क्षण में यह बहुत जलन का कारण बनता है और यह तेज और मजबूत होता है। यदि तुरंत नहीं धोया जाता है, तो एसिड त्वचा को पिघला देता है, कभी–कभी हड्डियों के विघटन का कारण बनता है क्योंकि एसिड संक्षारक तरल होता है जिसमें त्वचा में गहराई से बहने और मांसपेशियों, रक्त वाहिकाओं और हड्डियों को खराब करने की क्षमता होती है। यह आंखों को चोट पहुंचाने का कारण बनता है , कान, नाक, आदि। खोपड़ी आंशिक रूप से नष्ट/विकृत हो गई है, बाल गायब हैं, कान उपास्थि आमतौर

पर आंशिक रूप से या पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, बहरापन होता है, पलकें बंद या विकृत हो सकती हैं, इसके परिणामस्वरूप अंधापन हो सकता है, नाक हो सकती है सिकुड़े और विकृत हो जाते हैं और क्षतिग्रस्त कार्टिलेज के कारण व्यक्ति के नथुने पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। मुंह सूख जाता है और पतला हो जाता है, और यह अपनी गति खो सकता है। कभी–कभी, इससे होंठ आंशिक रूप से या पूरी तरह से टूट जाते हैं, जिससे दांत खुल जाते हैं। खाना और बोलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा श्वसन संबंधी समस्याएं भी होती हैं। ये एसिड अटैक से जुड़ी कुछ शारीरिक समस्याएं हैं।

VIII. मनोवैज्ञानिक प्रभाव

एसिड अटैक की पीड़िता न केवल शारीरिक रूप से पीड़ित होती है, बल्कि उसके व्यक्तित्व में कमी, घबराहट, हताशा, आत्मविश्वास की कमी, कंपकंपी, अव्यवस्थित खान–पान, बुरे सपने, अनिद्रा, निराशा, अपने बारे में नकारात्मक भावनाओं के कारण उसके ऊपर एक विशाल और विशाल मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। आत्म–आश्वासन की कमी, बेकार की भावना और परित्याग की भावना जो आत्महत्या की प्रवृत्ति को जन्म दे सकती है। यह ठीक ही कहा गया है कि 'सुंदरता मनुष्य के लिए है जैसे इत्र फूल के लिए है'। जैसा कि अपराधी का मुख्य उद्देश्य पीड़ित को शारीरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक आदि रूप से पीड़ित करना है, और तेजाब फेंकने के बाद, अपराधी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम होता है जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित को उपरोक्त परेशानियों से पीड़ित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से, पीड़िता पूरी तरह से बिखर जाती है और तबाह हो जाती है, दिखने में बुद्धिमान, आत्मविश्वासी, आदि, और सबसे निंदनीय बात यह है कि यह अस्थायी रूप से नहीं बल्कि जीवन भर स्थायी रूप से स्थायी है। जब किसी व्यक्ति का जीवन उन्हें बेकार लगने लगता है, तो स्पष्ट है कि ऐसा व्यक्ति निराशा, मंदता और गड़गड़ाहट में फंस जाएगा।

IX. वित्तीय प्रभाव

तेजाब हमले की पीड़िता पर शारीरिक और मानसिक प्रभाव के अलावा यह जघन्य अपराध व्यक्ति को आर्थिक तंगी में भी डाल देता है। एसिड अटैक पीड़िता के उपचार में कई तरह की सर्जरी, स्किन ग्राफ्टिंग, दवा आदि शामिल हैं। चूंकि एक ही सर्जरी पर्याप्त नहीं होती है, जिससे कई सर्जरी हो जाती है, यह एक व्यक्ति को आर्थिक रूप से परेशान करता है।

X. सामाजिक प्रभाव

व्यक्ति का रूप इतना भयानक और भयावह हो जाता है कि पीड़ित सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो जाते हैं, या तो समाज द्वारा या स्वयं द्वारा। एसिड अटैक पीड़ितों की बड़ी संख्या को अपनी शारीरिक बनावट या शारीरिक अक्षमताओं के कारण अपनी शिक्षा, व्यवसाय छोड़ने और जीवन की सामान्य गतिविधियों को करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सबसे भयावह बात यह है कि बिना किसी दोष के, उन्हें अपने चेहरे और अपने

शरीर के प्रभावित हिस्सों को छिपाने के लिए बनाया जाता है, उन्हें समाज आदि का खामियाजा भुगतना पड़ता है। अपने आसपास के लोगों में हमेशा घबराहट, तिरस्कार और उपहास की भावना होती है, न कि बड़े पैमाने पर समाज के घृणित रूप को भूलने के लिए। इन सब बातों से पीड़ितों में इतनी हीन भावना पैदा हो जाती है कि वे स्वयं समाज से दूर हो जाते हैं।

1.3 एसिड अटैक की रोकथाम हेतु निर्मित विधायन

महिलाओं पर किए गए एसिड हमले सबसे निंदनीय अपराधों में से एक हैं। इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 सभी को सुरक्षा देने की बात करता है और धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव के निषेध से संबंधित है, वास्तविकता यह है कि यह सरकार की ओर से विफलता रही है। राज्य को अपने नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं की रक्षा करने के लिए, क्योंकि इस तरह के अधिकांश जघन्य अपराध महिलाओं के खिलाफ होते हैं। 2013 से पहले, भारतीय दंड संहिता, 1860 में एसिड हमलों के बारे में कोई भी उपबन्ध नहीं था, और न्यायपालिका का दृष्टिकोण भी बहुत कठोर और असंवेदनशील था।

लीला देवी बनाम बिहार राज्य[1] एक ऐसा मामला है जहां एसिड हमलों के मामलों में न्यायपालिका का कठोर और असंवेदनशील रवैया स्पष्ट है। उक्त मामले में आरोपी ने तीन अन्य लोगों के साथ 21 जुलाई 1993 को पीड़िता पर तेजाब फेंका। निचली अदालत ने मुख्य आरोपी को सिर्फ 2 साल की सजा सुनाने में 25 साल का समय लिया और अन्य सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने 2 साल की इस मामूली सजा को 5,000 रूपये के जुर्माने में बदल दिया।

समिति ने सिफारिश की कि तेजाब हमले को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के तहत अपराध के रूप में शामिल किया जाए। इस अपराध की लिंग विशिष्टता और भेदभावपूर्ण प्रकृति हमें इस अपराध को महिलाओं के विरूद्ध एक और अपराध के रूप में अनदेखा करने की अनुमति नहीं देती है। हम अनुशंसा करते हैं कि तेजाब हमलों को विशेष रूप से भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में एक अपराध के रूप में परिभाषित किया जाए, और पीड़िता को आरोपी द्वारा मुआवजा दिया जाए। हालांकि, महिलाओं के खिलाफ अपराधों के संबंध में, केंद्र और राज्य सरकारों को मुआवजा कोष तैयार करने के लिए पर्याप्त राशि का योगदान करना चाहिए। समिति ने यह भी देखा, एक निश्चित अर्थ में, हमलावर को पता होता है कि एक महिला का आत्म–मूल्य और आत्म–सम्मान अक्सर उसके चेहरे पर होता है, जो उसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। चेहरे या शरीर का टूटना न केवल मानव शरीर के खिलाफ अपराध है, बल्कि पीड़ित को स्थायी मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाएगा। क्या होता है जब पीड़ित को स्थायी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षति होती है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और कानून निर्माताओं को इस बात से अवगत होना चाहिए कि अपराध केवल शरीर के खिलाफ अपराध कहे जाने वाले सिद्धांत पर आधारित नहीं हैं, अर्थात शरीर की क्षति , लेकिन उन्हें सम्मान के साथ जीने के अधिकार पर होने वाले परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए जो अपराध से बचे रहते हैं।

1.4 विधि आयोग की 226वीं रिपोर्ट

धीमी न्यायिक प्रक्रिया, अपर्याप्त मुआवजे और जाहिर तौर पर एसिड हमले के बाद के प्रभावों के कारण एसिड हमलों के शिकार लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इस प्रकार, तेजाब हमले से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता में अलग–अलग धाराओं को कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता है और ऐसे मामलों से प्रभावी और कुशल तरीके से निपटने के लिए भारत में एक आपराधिक चोट मुआवजा बोर्ड स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि तेजाब हमलों के पीड़ितों की मदद की जा सके। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 के अन्तर्गत चिकित्साव्यय एवं पुर्नवास हेतु प्रावधान बनाया गया है। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 से पहले एसिड जो उस समय तक बढ़ चुके थे इस संशोधन अधिनियम के बाद और भी बढ़ गए, भारतीय दण्ड संहिता, 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में विभिन्न धाराएं डाली गईं। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में धारा 326–क, 326–ख, धारा 100 खंड सातवें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में धारा 35–ख, 357–ग जैसी विभिन्न धाराओं को उक्त संशोधन के साथ जोड़ा गया था।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 326–क मूल रूप से किसी व्यक्ति को तेजाब फेंकने या एसिड का प्रशासन करने से होने वाली विकृति के बारे में बात करती है। उस व्यक्ति क्षति के परिणामस्वरूप शरीर के किसी भी हिस्से की विकृति, अक्षमता हो सकती है और यह आंशिक या स्थायी हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 10 साल की कैद की सजा दी जायेगी और इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा। ऐसे व्यक्ति को जुर्माना भी भरना पड़ता है। जो जुर्माना लगाया गया है वह पीड़ित के इलाज के लिए किए जा रहे चिकित्सा खर्च को वहन करने के लिए उचित होगा। साथ ही पीड़ित को जुर्माना भी संदत्त करना होगा।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 326–ख उस व्यक्ति के बारे में बात करती है जो किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंकता है या फेंकने का प्रयास करता है या अन्य तरीकों से भी प्रयास करता है, और ऐसे व्यक्ति का इरादा स्थायी या आंशिक क्षति या यहां तक कि विकृति का कारण बनता है ऐसे व्यक्ति या यहां तक कि जलने, अपंग, शरीर के किसी हिस्से की विकृति या किसी भी प्रकार की विकलांगता या यहां तक कि ऐसे व्यक्ति को गंभीर चोट लगने पर, वह न्यूनतम 5 साल की सजा के लिए उत्तरदायी होगा जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

इसके अलावा धारा 100 खंड 7 जो आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 द्वारा जोड़ा गया है, उन मामलों के बारे में बात करता है जहां निजी बचाव का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है। इसके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति तेजाब फेंकता है या तेजाब फेंकने का प्रयास करता है, जो सामान्य

रूप से तर्कसंगत रूप से भय और घबराहट का कारण बनता है कि अन्यथा इस तरह के कृत्य से गंभीर चोट लगेगी, तो यह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, और किसी भी सजा से छूट दी जाएगी। इतना ही नहीं, धारा 357 सीआरपीसी सभी अस्पतालों की जिम्मेदारियों के बारे में बात करती है, भले ही वे निजी या सार्वजनिक हों, चाहे वे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पीड़ितों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा प्रदान किया जायेगा।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 326–क, 326–ख, 376–क, 376–ख, 376–ग, 376–घ या 376–ङ के अन्तर्गत। उनका यह भी कर्तव्य है कि वे बिना किसी देरी के तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दें। इसके अलावा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357क पीड़ित मुआवजा योजना की बात करती है। इस धारा के अनुसार यह अनिवार्य है कि प्रत्येक राज्य केंद्र सरकार के समन्वय से पीड़ित मुआवजा कोष स्थापित करे। इसका उद्देश्य अपराध के पीड़ित को धन मुहैया कराना है। मुआवजा उस योजना के अनुसार प्रदान किया जाना है जिसे विशेष राज्य द्वारा अपनाया गया है। मुआवजा पीड़ित या उसके आश्रितों को प्रदान किया जा सकता है जिन्हें अपराध के कारण नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की भी आवश्यकता है। इसके अलावा, केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष (CVCF) भी रूपये 2 बिलियन के प्रारंभिक कोष के साथ स्थापित किया गया है। इसे गृह मंत्रालय ने पेश किया है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित मुआवजे की मात्रा में कट्टरता को कम करने के लिए प्रचलित पीड़ित मुआवजा योजनाओं का समर्थन करना है। इसके तहत, पीड़ितों को एसिड हमले, बलात्कार, मानव तस्करी, विकलांग और जलने के संबंध में विभिन्न चोटों, हानि और मृत्यु के आधार पर मुआवजा प्रदान किया जाएगा। मुआवजे का दावा करने के लिए पीड़ितों की पात्रता के लिए एक मानदंड भी निर्धारित किया गया है। सीवीसीएफ के तहत पीड़ित मुआवजे का दावा कर सकता है यदि आवेदन पत्र के साथ एक घोषणा दायर की जाती है कि सरकार (केंद्र व राज्य) से कोई मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है परिवार की आय का पर्याप्त नुकसान होता है, नुकसान ऐसा होना चाहिए कि दोनों का गुजारा करना मुश्किल हो जाए या चिकित्सा व्यय की लागत परिवार की वित्तीय क्षमता से अधिक हो। पीड़ित या आश्रितों को धारा 357क (4) सीआरपीसी के तहत मुआवजा भी उपलब्ध होगा, भले ही अपराधी का पता न चल सके।

यह योजना अधिकतम रूपये 0.3 मिलियन के मुआवजे का प्रावधान करती है। साथ ही, यदि पीड़िता की आयु 14 वर्ष से कम है, तो पीड़ित व्यक्ति रूपये 150,000 की अतिरिक्त राशि प्राप्त करने का पात्र होगा।

इसके अलावा, राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली ने भी 2008–2009 की अपनी रिपोर्ट में 'महिलाओं और बच्चों पर (एसिड द्वारा) अपराधों के राहत और पुनर्वास के लिए योजना' का मसौदा तैयार किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एसिड अटैक सर्वाइवर्स को उपयुक्त चिकित्सा उपचार और सांप्रदायिक, मानसिक और वित्तीय सहायता के साथ सक्षम बनाना है।

एसिड हमले स्थायी रूप से विकृत हो जाते हैं और अंततः पीड़िता को शारीरिक और मानसिक रूप से नष्ट कर देते हैं। पीड़ितों को विशेष प्लास्टिक सर्जरी के रूप में अल्पकालिक और दीर्घकालिक चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता होती है'।

इस योजना ने सरकार के तीनों स्तरों पर 'आपराधिक चोट मुआवजा बोर्ड' की एक संघीय प्रणाली स्थापित करने का भी सुझाव दिया जो मुख्य रूप से एसिड हिंसा से संबंधित मामलों को संभालेगा।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा यह भी देखा गया है कि कानूनी सेवा संस्थान पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मुआवजे तक पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह नालसा (एसिड हमलों के पीड़ितों के लिए कानूनी सेवाएं) योजना, 2016 के साथ सामने आया, इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- एसिड हमलों के पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तरों पर कानूनी सहायता और प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधानों और मुआवजे के लिए योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जो मौजूद हैं।
- एसिड हमलों के पीड़ितों को चिकित्सा सुविधाओं और पुनर्वास सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाना।
- जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों, तालुका कानूनी सेवा समितियों, पैनल वकीलों, अर्ध कानूनी स्वयंसेवकों और कानूनी सेवा क्लीनिकों के माध्यम से एसिड हमलों के पीड़ितों के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना और फैलाना।
- प्रशिक्षण, अभिविन्यास और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करके दंड वकीलों, अर्ध कानूनी स्वयंसेवकों, कानूनी सेवाओं में स्वयंसेवकों, विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ कार्यरत सरकारी अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, पुलिस कर्मियों, गैर–सरकारी संगठनों के सभी स्तरों पर क्षमता बढ़ाने के लिए तथा
- विभिन्न योजनाओं, कानूनों आदि का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान और प्रलेखन को समझना, अंतराल, जरूरतों का पता लगाना और उपयुक्त प्राधिकारी को सुझाव देना।

1.5 न्यायिक विनिश्चय के माध्यम से एसिड अटैक मामलों में न्याय

एक मामले में आरोपी पीड़िता का परिचित था। एक दिन उसने पीड़िता पर कुछ आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की, जो पीड़िता और उसके पिता को पसंद नहीं आई और उन्होंने उसे फटकार लगाई। 19 मई की रात जब वह अपने एक चचेरे भाई के साथ सो रही थी तो आरोपी ने गाली–गलौज की और पीड़िता पर तेजाब फेंक दिया। वह 40 फीसदी जली हुई थी। सत्र न्यायालय ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। जब मामला उच्च न्यायालय में अपील में आया, तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले को उलट दिया।[5]

न्यायालय ने देखा, परिस्थितियों को देखते हुए गीता की शपथ को ठुकराना सर्वथा अनुचित है। हमें विश्वास है कि मेवा सिंह आरोपी वह व्यक्ति था जिसने गीता के चेहरे पर तरल फेंका था और इस संबंध में उसका अपराध सिद्ध होता है।

आरोपी की पत्नी प्रेम लता उसे छोड़कर अपने माता–पिता के यहां रह रही थी। उस भीषण रात में, वह उसके घर आया और उसके साथ सोना चाहता था, जिसका उसके द्वारा विरोध किया गया था, जिसके लिए उसने उसे धमकाया और उससे कहा कि वह उस पर तेजाब फेंक देगा और उसने जो कहा वह किया। वह फिर तेजाब के साथ वापस आया और उस पर फेंक दिया। महिला जलन और दर्द के कारण चिल्लाई और उसे अस्पताल ले जाया गया। इस जघन्य कृत्य के कारण वह एक आंख से अंधी हो गई। अदालत ने उन्हें 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

यह देखा, पक्षों में तनावपूर्ण संबंध थे और लगभग 15 दिन पहले, आरोपी प्रेम लता को उसके पिता के घर ले आया और उसके बाद, उसकी कभी परवाह नहीं की। दुर्भाग्यपूर्ण रात में, वह आधी रात को अपनी पत्नी के पास आया लेकिन उसे भेज दिया गया। हालाँकि उस समय उन्हें चोट लग सकती थी, लेकिन उनके पास अपने कार्य के परिणामों पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय था जिसकी उन्होंने योजना बनाई थी। परिस्थितियों ने दिखाया कि उसने पहले ही सल्फ्यूरिक एसिड खरीद लिया था और उसकी पत्नी को सबक सिखाने के सभी इरादे थे। सल्फ्यूरिक एसिड फेंकने से प्रेम लता का ऐसा रूप बिगड़ गया कि उनका समाज से बाहर निकलना असंभव हो गया। उसकी एक आंख चली गई और दूसरी से आंखों की रोशनी चली गई। प्रेम लता को अभी बहुत आगे जाना है और हमेशा आरोपी से शादी करने के लिए खुद को कोसती रहेगी। आरोपी के कायरतापूर्ण कृत्य के कारण उसे बहुत पीड़ा हुई है जिसके लिए उसे क्षमा नहीं किया जा सकता है।[6]

एक मामले में आरोपी द्वारा मुंह में तेजाब डालने से पीड़िता को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़िता ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने उसे मुआवजा देने से इनकार कर दिया था। राज्य सरकार द्वारा की गई दलील यह थी कि पीड़िता को केवल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की सिफारिश पर मुआवजा दिया जा सकता है जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया था, और यह आदेश दिया गया था कि मुआवजे की राशि रूपये 0.3 मिलियन से सम्मानित की जाए, पीड़िता और उसका परिवार।[7]

एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला द्वारा शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार करने से संबंधित मामला था। पीड़िता को जानने वाला आरोपी कंस्ट्रक्शन वर्कर था और महिला से शादी करना चाहता था। इस प्रस्ताव को उसके और उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से भी की थी और आरोपी को फटकार भी लगाई थी. कुछ देर बाद उसने मृतका पर तेजाब फेंक दिया जिससे वह एक आंख से अंधी हो गई। बाद में संक्रमण के कारण उसकी मौत हो गई। सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया और

धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के अलावा धारा 326, आईपीसी के तहत 2 साल की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया।[8]

एक अन्य मामले में 23 साल की युवती की श्वसन तंत्र के मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के कारण मौत हो गई, जो उस पर तेजाब के हमले के कारण प्रभावित हुई थी। आरोपी अंकुर पंवार, जो उसका पड़ोसी था, ने उस पर तेजाब फेंक दिया, जिसका कारण वह एक सफल महिला थी और शादी के लिए उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 302 और 326क, के अन्तर्गत उत्तरदायी ठहराया गया और उसे मृत्युदण्ड की सजा सुनाई गई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।[9]

जहाँ कि पीड़िता और आरोपी एक–दूसरे को जानते थे और आरोपी ने पीड़िता को परेशान किया। पीड़िता के भाई द्वारा दी गई चेतावनी पर आरोपी ने पीड़िता के घर आना बंद कर दिया, लेकिन एक दिन जब पीड़िता ट्यूशन से आ रही थी तो उसने उस पर तेजाब फेंक दिया. उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने धारा 307, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत आरोपी को उत्तरदायी बनाया और कुछ निर्देश जारी किएः राज्य सरकार द्वारा एसिड हिंसा के पीड़ितों के लिए आपराधिक चोट मुआवजा बोर्ड की स्थापना तेजाब हमलों के पीड़ितों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए निजी अस्पताल कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के तेजाब नहीं बेचेगा। पाए जाने पर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ धारा 326–क, 326–ख, 354–क, 354–ख, 354–ग और 354–घ के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आईपीसी शीघ्र प्राथमिकी दर्ज कर सात दिन के अंदर जांच पूरी कर आपराधिक न्यायालय में सात दिन के अंदर चालान भी दाखिल करना है।[10]

एसिड अटैक के मामलों में यदि पीड़ित को लगी चोट साधारण है तो उस पर धारा 326–क, आईपीसी लागू होगी या नहीं। अदालत ने देखा, धारा 326क में 'तेजाब' के इस्तेमाल से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने' का शीर्षक है, जबकि धारा 326क में चोट की प्रकृति के बारे में गंभीर के रूप में ऐसा कोई संकेत नहीं है। लेकिन करीब से विश्लेषण करने पर यह देखा जा सकता है कि दोनों खंड आठ प्रकार की चोट के लिए प्रदान करते हैं– (i) स्थायी क्षति, (ii) आंशिक क्षति (iii) विकृति (iv) जलन (v) अपंग (vi) विद्रूपित (vii) विकलांगता (viii) गंभीर चोट। पहली सात चोटों को एसिड के प्रभाव के बाद सामान्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जबकि आठवीं एक प्रभाव की गंभीरता पर होती है। धारा 326क और 326ख के अन्तर्गत, आठ चोटों में से केवल एक गंभीर चोट है। यदि धारा 326क या 326ख के अन्तर्गत निर्दिष्ट चोट आठ चोटों में से एक है, चाहे वे सात साधारण हों या गंभीर, विशेष प्रावधान आकर्षित होते हैं। आरोपी को धारा 326क, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत उत्तरदायी ठहराया गया और उसे 7 साल कैद की सजा सुनाई गई।[11]

एसिड अटैक के मामले में लक्ष्मी का केस[12] एक बहुत ही ऐतिहासिक मामला रहा है। लक्ष्मी का जन्म दिल्ली में हुआ था और वह एक मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थीं। 2005 में उस पर तीन लोगों ने हमला किया था, जब वह 15 साल की थी, तुगलक रोड के पास जो नई दिल्ली में है। वजह थी उसका नईम खान उर्फ गुड्डू से शादी करने से इंकार करना। हमले के बाद उसका चेहरा और शरीर क्षत–विक्षत हो गया

था। जनहित याचिका 2006 में दायर की गई थी, और इसने नए कानून बनाने या आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने की मांग की, उसे प्रदान किया जाने वाला मुआवजा और एसिड की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गयी थी। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी और रूपा के पक्ष में याचिका मंजूर की थी. इसने एसिड की बिक्री पर प्रतिबंधों और सीमाओं का एक सेट बनाया। नए नियमों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को तेजाब की बिक्री पर प्रतिबंध है, जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। इसके अलावा, एसिड खरीदने से पहले, एक व्यक्ति को एक फोटो पहचान पत्र प्रदान करना आवश्यक है। मुआवजे की राशि को रूपये 50,000 से बढ़ाकर रूपये 300,000 कर दिया गया। न्यायालय ने सरकार को एसिड अटैक पीड़िता की सर्जरी के मुफ्त इलाज का भी आदेश दिया था। हालांकि ये प्रावधान हैं, फिर भी वास्तविकता यह है कि एसिड बाजारों में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है यह इस तथ्य के बावजूद कि लक्ष्मी के बाद एसिड हमलों से संबंधित मामले बंद नहीं हुए हैं, लेकिन वे बढ़ रहे हैं और कई लक्ष्मी जैसी महिलाओं के होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है, जो अपनी ओर से बिना किसी गलती के जीवन भर भुगतना पड़ता है।

परिवर्तन केंद्र और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य[13] उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लक्ष्मी के मामले के तहत रूपये 0.3 मिलियन से अधिक मुआवजा भी प्रदान कर सकते हैं। यद्यपि, लक्ष्मी के मामले में, एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन यह अपमान की बात है कि इतने प्रयासों के बावजूद, जहर (एसिड) अभी भी आसानी से उपलब्ध है और पुरुषों के लिए सुलभ है। इस प्रकार अदालत के फैसले को क्षीण कर दिया और महिलाओं के जीवन को उदास बना दिया।

1.5 निष्कर्ष

आम लोगों का यह मानना है कि आंतरिक सुंदरता मायनें रखती है लेकिन वास्तव में कुछ ही लोग शारीरिक विशेषताओं से परे जाते हैं ये शब्द है एसिड अटैक पीड़िता लक्ष्मी अग्रवाल के, जिसमें यह बताया कि घटना के बाद उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ वह इतनी आहत थी कि महीनों तक उसनें अपना चेहरा छुआ नहीं, ना ही आईना देखा उसे सिर्फ ख्याल आया तो आत्महत्या का, लक्ष्मी की स्थिति अन्य एसिड अटैक पीड़ितों से अलग नहीं है। यह वकतव्य यह दशार्ते हैं कि हर एसिड पीड़ित ऐसी घटना के बाद कितना भयभीत और स्तब्ध हो जाता है।

पीड़ित न केवल सामान्य रूप से स्तब्ध या आघात महसूस करते हैं बल्कि वे अपने समाज और हर चीज के बारे में महसूस करने और सोचनें के तरीके से भी आघात महसूस करते हैं यह उस भयावता के कारण होता है जिसे वे हमला करते समय झेलते हैं आतंक की यह भावना उनमें बसती है पीड़ित पूरे जीवन अवसाद, कमजोरी, थकान, एकाग्रता की कमी, आशा की कमी में जीवन जीती है। समाज उन्हें सामान्य रूप से स्वीकार नहीं करता तथा उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

इस खतरे को नियंत्रित करने के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा शामिल किए गए पीछा और ताक–झांक से संबंधित अपराधों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। हमारे देश में आमतौर पर देखा जाता है कि कानून तो बनते हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन सबसे बड़ी समस्या रही है।

एसिड की बिक्री को विनियमित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। एसिड की बिक्री के संबंध में विनियमों को कड़ाई से और सख्ती से क्रियान्वित किया जाना चाहिए और अधिकारियों की ओर से किसी भी अंतराल पर कठोर दंडात्मक उपाय किए जाने चाहिए।

सन्दर्भ सूची

1. सैनफोर्ड एच. कदीश, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ क्राइम एंड जस्टिस 1618–1619 (1983)।
2. निरोज सिन्हा, महिला और हिंसा 32 (1989)।
3. ब्लैक लॉ डिक्शनरी 1564 (ब्रायन ए. गार्नर एड., 7वां संस्करण 1999)।
4. 8 सितंबर 2016 को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा निर्णय लिया गया, www-indiankanoon-org/doc/73058320 पर उपलब्ध है।
5. राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम मेवा सिंह, 5(1969) डीएलटी 506।
6. देवानंद बनाम राज्य, 1987 (1) अपराध 314, 31.
7. सबाना खातून बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या। 2013 का 34704। निर्णय 28 फरवरी 2014 को दिया गया, जो www-indiankanoon-org/doc/143261972 पर उपलब्ध है।
8. सुरेश कुमार / अप्पू बनाम राज्य, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 29 जून 2016 को दिया गया निर्णय, 2014 की आपराधिक अपील संख्या 361, www-Indiankanoon-org/doc/43357895 पर उपलब्ध है।
9. महाराष्ट्र राज्य बनाम अंकुर पंवार , 8 दिसंबर 2016 को बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया, www-Indiankanoon-org/doc73058320 पर उपलब्ध है।
10. उत्तराखंड राज्य बनाम आजम , 2011 की अपील संख्या 12, 12 जून 2017 को निर्णय लिया गया।
11. मकबूल बनाम यूपी राज्य और अन्य, 2018 की आपराधिक अपील संख्या 1143। 7 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय एससीसी/ऑनलाइन/एससी/1930
12. लक्ष्मी बनाम भारत संघ (2014) 4एससीसी 427.
13- रिट याचिका संख्या 867/2013, निर्णीत 7 दिसंबर 2015